मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय के समस्त अधिकारियों, आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालक/उप संचालकों/तकनीकी संभागों के कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्रियों एवं संभाग स्तर के मण्डी सचिव के साथ दिनांक 01/04/2025 को आयोजित समय-सीमा समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण-

--00--

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय के समस्त अधिकारियों, आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालक/उप संचालकों, तकनीकी संभागों के कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्रियों के साथ प्रबंध संचालक सह आयुक्त की अध्यक्षता में **दिनांक 01/04/2025 को प्रातः 11.00 बजे से मण्डी बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल स्थित सभाकक्ष में समय सीमा समीक्षा बैठक** आयोजित की गई। उक्त बैठक में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल के समस्त अधिकारी, आंचलिक कार्यालयों से संयुक्त/उप संचालक, तकनीकी संभागों के कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री एवं संभाग स्तर के मण्डी सचिव वर्चुअल रूप से उपस्थित रहे। बैठक में निम्नानुसार विषयों/प्रकरणों की समीक्षा की गई :-

1. <u>ई-मण्डी योजना</u> :- 'स' एवं 'द' वर्ग की मण्डियों में 01 अप्रैल, 2025 से ई-मण्डी योजना प्रारंभ करने की समीक्षा की गई तथा निर्देशित किया गया कि सभी संयुक्त संचालक/उप संचालक, आंचलिक कार्यालय अपने अधीनस्थ मण्डियों में संचालित ई-मण्डी योजना की सतत् निगरानी करें तथा कन्ट्रोल-रूम स्थापित कर ई-मण्डी संचालन में आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों का त्वरित निराकरण किया जावे। किसी भी स्तर पर कोताही ना बरती जावे, इसका विशेष ध्यान रखा जावे।

2. <u>प्रॉपर्टी मैनेजमेंट पोर्टल</u> :- प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों/ उप मण्डियों की भूमि एवं संरचनाओं की जानकारी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट पोर्टल पर अपलोड करने एवं कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने संबंधी कार्य की समीक्षा की गई तथा आंचलिक संयुक्त संचालक/उप संचालक एवं तकनीकी संभाग के कार्यपालन यंत्रियों को निर्देशित किया गया कि लंबित प्रकरणों की तथ्यात्मक जानकारी तत्काल मुख्यालय, भोपाल को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से भिजवाना सुनिश्चित करें।

3. <u>ई-टेण्डरिंग/ई-नीलामी</u> :- ई-टेण्डरिंग/ई-नीलामी के संबंध में समीक्षा की गई। सहायक संचालक(प्रांगण) द्वारा अवगत कराया गया कि अधीक्षण यंत्री महोदय की अध्यक्षता में ई-नीलामी संबंधी विगत 02 बैठके हो चुकी हैं और निरन्तर बैठकें की जाकर ई-टेण्डरिंग/ई-नीलामी संबंधी निर्देश/नियम का ड्रॉफ्ट तैयार किया जा रहा है।

अतः ई-टेण्डरिंग/ई-नीलामी संबंधी कार्य प्रभावी रूप से प्राथमिकता के साथ करने के निर्देश दिए गए।

4. **विधान सभा आश्वासन** :- समीक्षा दौरान मुख्यालय स्तर पर 38 अपूर्ण आश्वासन पाए गए। 38 आश्वासनों की जानकारी अद्यतन स्थिति में शासन को भेजी जानी है। 09 आश्वासनों की अद्यतन स्थिति विधान सभा शाखा को प्राप्त हो चुकी है। मुख्यालय की नियमन शाखा- 27, विभागीय जांच शाखा- 01 एवं वित्त प्रबंधन शाखा-01 इस प्रकार कुल 29 आश्वासनों की अद्यतन स्थिति अप्राप्त है। मुख्यालय की संबंधित शाखाएं समयसीमा की अगली बैठक के पूर्व विधान सभा शाखा को लम्बित आश्वासनों की जानकारी उपलब्ध कराएं। साथ ही लम्बित आश्वासनों की जानकारी संबंधित संयुक्त संचालक/उप संचालक, आंचलिक कार्यालयों को एक सप्ताह के अन्दर भिजवाने के निर्देश दिए गए।

5. **उड़नदस्ता निरीक्षण** :- मुख्यालय, भोपाल स्तर से दिनांक 13.03.2025 से उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है। यह दल मुख्यालय के सीधे नियंत्रण पर कार्य करेंगे। जबलपुर के खवासा (सिवनी) तथा शिवपुरी में अवैध परिवहन करते हुए वाहन पकड़े गए हैं। संयुक्त संचालक/उप संचालक, आंचलिक कार्यालय जबलपुर/ग्वालियर द्वारा कर-अपवंचन की रोकथाम हेतु निरीक्षण कार्य में शिथिलता बरती जा रही है। साथ ही अवैध परिवहन की शिकायतें निरन्तर प्राप्त हो रही हैं। अतः सभी आंचलिक अधिकारी मण्डी क्षेत्रों में उड़नदस्ता दलों को सक्रिय करें। प्रबंध संचालक द्वारा निर्देश दिए गए कि निरीक्षण में लापरवाही, अवैध परिवहन, अवैध भण्डारण के कर-अपवंचन की स्थिति पाए जाने पर संबंधित मण्डी सचिव के साथ-साथ संबंधित संयुक्त संचालक/उप संचालक का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जावे।

6. **कृषकों की उपज का भुगतान** :- कृषकों के भुगतान में व्यतिक्रम की रोकथाम तथा कृषकों को उनकी कृषि उपज का पूर्ण एवं त्वरित भुगतान कराने के संबंध में सभी संयुक्त संचालक/उप संचालक, आंचलिक कार्यालय एवं मण्डियों को पत्र क्रमांक-1231 दिनांक 21.03.2025 जारी किया गया है। सभी संयुक्त संचालक/उप संचालक, आंचलिक कार्यालय एवं मण्डियां सतत् निगरानी रखकर मण्डी प्रांगण में उपज विक्रय करने वाले कृषकों को उसी दिन मण्डी अधिनियम/नियम/उपविधि के प्रावधानों के अनुसार भुगतान कराना सुनिश्चित करेंगी।

समय-सीमा के प्रकरणों की समीक्षा आगामी समय-सीमा की बैठक में की जावेगी। मण्डी बोर्ड, मुख्यालय के सभी अधिकारीगण अपनी-अपनी शाखाओं के प्रकरणों की पूर्ण तैयारी के साथ आगामी बैठक में उपस्थित रहेंगे।

धन्यवाद ज्ञापन उपरांत समय-सीमा समीक्षा बैठक संपन्न हुई।

(कुमार पुरूषोत्तम)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृ.क्र./बोर्ड/समन्वय/समय-सीमा/अप्रैल/2025/2180 भोपाल, दिनांक 03/04/2025

<u>प्रतिलिपि</u>:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल ।
2. अपर संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
3. संयुक्त संचालक/अधीक्षण यंत्री, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल ।
4. उप संचालक/कार्यपालन यंत्री/सहायक संचालक/सहायक यंत्री(समस्त)म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
5. संयुक्त संचालक/उप संचालक(समस्त) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय (समस्त)।
6. कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड तकनीकी संभाग (समस्त)।
7. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति (समस्त), मध्यप्रदेश।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल